



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-एम.एच.-अ.-09102025-266826
CG-MH-E-09102025-266826

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 663]
No. 663]

नई दिल्ली, सोमवार, अक्टूबर 6, 2025/आश्विन 14, 1947
NEW DELHI, MONDAY, OCTOBER 6, 2025/ASVINA 14, 1947

भारतीय रिज़र्व बैंक

(विदेशी मुद्रा विभाग)

अधिसूचना

मुंबई, 6 अक्टूबर, 2025

विदेशी मुद्रा प्रबंध (उधार लेना एवं उधार देना) (संशोधन) विनियमावली, 2025

सं. फेमा. 3(आर)(4)/2025-आरबी.— विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 6 की उप-धारा (2) तथा धारा 47 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक एतद्वारा विदेशी मुद्रा प्रबंध (उधार लेना एवं उधार देना) विनियमावली, 2018 (दिनांक 17 दिसंबर 2018 की अधिसूचना सं. फेमा 3(आर)/2018-आरबी), (जिसे इसके पश्चात 'मूल विनियमावली' कहा गया है), में निम्नलिखित संशोधन करता है; अर्थात:

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ- (1) इन विनियमों को विदेशी मुद्रा प्रबंध (उधार लेना एवं उधार देना) (संशोधन) विनियमावली, 2025 कहा जाएगा।

(2) यह विनियमावली सरकारी राजपत्र में उसके प्रकाशन की तारीख से लागू होगी।

2. मूल विनियमावली में, विनियमन 7 उप-विनियमन ए में, खंड (iii) के बाद निम्नलिखित खंड (iv) जोड़ा जाएगा, अर्थात्: -
- “प्राधिकृत व्यापारी (एडी) बैंक, भारत के बाहर निवासी व्यक्तियों को जो कि भूटान, नेपाल या श्रीलंका के निवासी हैं, जिसमें इन क्षेत्राधिकारों के बैंक भी शामिल हैं, सीमा पार व्यापार लेनदेन के लिए भारतीय रुपये में उधार प्रदान कर सकते हैं।”

डॉ. आदित्य गेहा, प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक
[विज्ञापन-III/4/असा./397/2025-26]

फूटनोट: मूल विनियमावली दिनांक 17 दिसंबर 2018 को जी.एस.आर. सं. 1213(ई) के तहत सरकारी राजपत्र के भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित हुई थी, तत्पश्चात निम्नानुसार द्वारा संशोधित, अर्थात्:;

अधिसूचना जी.एस.आर. सं.163(ई) दिनांक 26.02.2019

अधिसूचना सं. फेमा.3(आर)(2)/2021-आरबी दिनांक 24.05.2021

अधिसूचना सं. फेमा.3(आर)(3)/2022-आरबी दिनांक 28.07.2022

RESERVE BANK OF INDIA
(Foreign Exchange Department)
NOTIFICATION

Mumbai, the 6th October, 2025

Foreign Exchange Management (Borrowing and Lending) (Amendment) Regulations, 2025

No. FEMA 3(R)(4)/2025-RB.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 6 and Section 47 of the Foreign Exchange Management Act, 1999 (42 of 1999), the Reserve Bank of India hereby makes the following amendments to the Foreign Exchange Management (Borrowing and Lending) Regulations, 2018 (Notification No. FEMA.3(R)/2018-RB dated December 17, 2018) (hereinafter referred to as 'the Principal Regulations'), namely:

1. Short Title & Commencement.- (1) These Regulations may be called the Foreign Exchange Management (Borrowing and Lending) (Amendment) Regulations, 2025.

(2) They shall come into force from the date of notification in the official gazette.

2. In the principal regulations, in regulation 7 sub-regulation A, after clause (iii), the following clause (iv) shall be inserted, namely:-

“An AD bank may lend in Indian Rupees to a person resident outside India being a resident in Bhutan, Nepal or Sri Lanka, including a bank in these jurisdictions, for cross border trade transactions.”

Dr. ADITYA GAIHA, Chief General Manager-in-Charge
[ADVT.-III/4/Exty./397/2025-26]

Footnote:The Principal Regulations were published in the Official Gazette vide G.S.R.No.1213(E) dated December 17, 2018, in Part II, Section 3, sub-Section (i) and subsequently amended vide the following, namely;
Notification G.S.R No.163(E) dated 26.02.2019
Notification No. FEMA. 3(R)2/2021-RB 24.05.2021
Notification No. FEMA.3(R)(3)/2022-RB dated 28.07.2022